

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक / / 2016

संख्या-17/विविध 1-97/2015 /स्वा०, डा० रमन किशोर वर्मा, ट्यूटर, फार्माकोलॉजी विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय को अचानक उनकी आँखों की दृष्टि क्षमता अत्यंत क्षीण हो जाने तथा शल्य क्रिया एवं अन्य उपचारों के बाद भी ठीक नहीं होने के कारण उनके लिये दायित्वों का निर्वाह करना संभव नहीं रह गया है।

अतः डा० वर्मा को स्वास्थ्य कारणों से बिहार सेवा संहिता के नियम 74 (ख) में निहित प्रावधान के आलोक में अधिसूचना निर्गत की तिथि से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :-17/विविध 1-97/2015-42 (17/पटना, दिनांक :- 19/01/16)
प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं राजपत्र के प्रकाशनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि :-महालेखाकार, बिहार, पटना /प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय/डा० रमन किशोर वर्मा, ट्यूटर, फार्माकोलॉजी विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य (श्री वर्मा)/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य विभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी, (प्रभारी प्रशाखा-17) स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-1,2 एवं 17 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।